महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-एस0एस0-सत्यापित संग्रह-फार्म-III (2016-17) // 995 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0
(संख्या-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :दिसम्बर 30-12- ,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

इस कार्यालय के पत्रांक 156 दिनॉक 12-5-2016 तथा इसके उपरांत प्रत्येक माह की मासिक बैठकों मे आपसे अनुरोध किया जाता रहा है कि वाणिज्य कर संग्रह की प्रान्तीय वैट की प्राप्तियों के वैट के नये लेखाशीर्ष 004000-111 के विभिन्न मदों मे ही मैनुअली जमा कराया जाए। इसका आनलाइन चालान वेबसाइट पर उपलब्ध है। किन्तु अभी तक विभिन्न जनपदों में महालेखाकार उ0प्र0 के अभिलेखों में / रूपपत्र-3 में संलग्न सूची के अनुसार धनराशि पुराने समाप्त किये गये लेखाशीर्ष-004000-102 के विभिन्न मदों मे जमा हो रही है,जो आपके सार्थक प्रयास को परिलक्षित नही करती है।इससे मिलान कार्य कराने मे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।वैट प्राप्तियों के लेखाशीर्ष-004000111 मे सही प्राप्तियॉ पुस्तांकित न होने से भविष्य मे जी0एस0टी0 लागू होने पर यही प्राप्तियॉ केन्द्र से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आधार होगी।

महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद से प्राप्तियों के मिलान मे यह भी पाया गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा केवल नये रूपपत्र-3 मे दर्शित लेखाशीर्ष-004000111 एवं उसके उपशीर्षो मे प्राप्तियॉ दिखायी गयी है जबकि यह प्राप्तियॉ महालेखाकार उ0प्र0 के अभिलेखों मे लेखाशीर्ष-004000102 एवं उसके उपशीर्षो मे जमा पायी गयी है।स्पष्ट है कि केवल विभागीय रूपपत्र-3 के लेखाशीर्षों मे संशोधन किया गया है जबकि प्राप्तियॉ पुराने चालान के लेखाशीर्ष मे ही व्यापारी द्वारा जमा की जा रही है।कतिपय जनपदों द्वारा अभी भी पुराने रूपपत्र-3/ लेखाशीर्ष-004000102 मे ही प्राप्तियॉ दिखायी जा रही है,जो अनुचित है।

महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद से प्राप्तियों के मिलान मे यह भी पाया गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा अनुचित लाभ लेने की दृष्टि से विभागीय रूपपत्र-3 मे अंकित लेखाशीर्षो के इतर लघुशीर्ष-0040000103 एवं 0040000106 की प्राप्तियों को रूपपत्र-3 मे शामिल कर लिया जा रहा है जबकि लघुशीर्ष-0040000103 एवं 0040000106 की प्राप्तियों को विभाग के राजस्व से सम्बन्धित न होने के कारण रूपपत्र-3 में सम्मिलित न करने के निर्देश पूर्व मे दिये जा चुके है।

निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद में तदनुसार कार्यवाही कराते हुए व्यापारियों को नये चालान उचित लेखाशीर्ष सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा आवश्यक होने पर खण्ड कार्यालयों मे यह व्यवस्था प्रभावी करायें कि सही लेखाशीर्षक में जमा धनराशि की ही रसीदें काटी जाए ताकि व्यापारी व अधिवक्तागण इस सम्बन्ध में स्वयं रूचि लेकर सही लेखाशीर्ष में धनराशि जमा करें।कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।।

संलग्नक-पृष्ठ भाग पर।

30/12/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0 पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।
प्रतिलिपि-

1-निदेशक कोषागार,उ0प्र0 जवाहरभवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रदेश के सभी कोषागारों को लेखाशीर्ष-004000102 एवं उसके उपशीर्ष के स्थान पर लेखाशीर्ष-004000111 एवं उसके उपशीर्ष मे ही प्राप्तियॉ प्रर्दशित /संकलित कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।

2- समस्त जनपदों के डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्यकर द्वारा सम्भागीय ज्वा0 कमि0 (कार्य0) व्यापारकर उ0प्र0।

Addl. Comm.
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।